समक्ष : ...... राजस्व मंडल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

329

प्रकरण क्रमांक / 2015 निगरानी निगरानी/1575-I-15

बल्दू खांगार पुत्र राम्रू खांगार
निवासी ग्राम बरहा तहसील गौरीहार जिला
छतरपुर --- आवेदक

बनाम

श्रीमती जानकी पत्नी ओमप्रकाश खांगार
निवासी ग्राम बरहा तहसील गौरीहार जिला
छतरपुर --- अनावेदकगण

दिनांक 16-6-15 को श्री प्रदीप के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत/
16-6-15

16.6.15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 8-6-15 द्वारा पारित अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर जिला छतरपुर प्रकरण क्रमांक 131-बी 121/14-15

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नलिखित है :-

154
राहुल तिवारी
शपथ आयुक्त
(ग्वालियर मध्य प्रदेश)
16/6/15

(1) यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/आवेदक बल्दू की पत्नी बनकर जिसका नाम कलावती है बल्दू की आधी जमीन पर नामान्तरण कराकर अपनी पुत्री श्रीमती जानकी के पक्ष में विक्रयपत्र सम्पादित कर दिया है और उक्त विक्रयपत्र के आधार पर अनावेदिका ने नायब तहसीलदार कुशारूनगर तहसील गौरीहार जिला छतरपुर के समक्ष एक नामान्तरण आवेदन प्रस्तुत किया ।

(2) यहकि, आवेदक की ओर से नायब तहसीलदार के समक्ष इस आशय की आपत्ति की गयी कि पति के जीवित रहते हुए पत्नी को बटंबारे का अधिकार नही है चूंकि जब बटंबारे का अधिकार नही है तो नामान्तरण जो कि छलकपट से कराया गया है ऐसी सूरत मे कलावती को अपनी पुत्री अनावेदिका के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1575-एक/2015 जिला छतरपुर बल्दू विरूद्ध जानकी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री जे.एस.गौड़ उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 131/बी-121/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 08-06-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 16-06-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

21.01.19

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

21.01.19

(आर.के. जैन)
सदस्य